न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—60 / 2021 (2021 / 173) प्रार्थना पत्र

अनवान

1 (1) चांदी पत्नि अम्बालाल भील निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
(2) नन्दा पुत्र अम्बालाल भील निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
(3) मोहन पुत्र अम्बालाल भील निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

पंजियन विक्रय पत्र जरियें

भैरू लाल पिता बाबु लाल भील निवासी भीलखेड़ी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. पन्ना पुत्र घीसा भील निवासी भीलखेड़ी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कानादास पुत्र मोहनदास रंगास्वामी निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. भीमदास पुत्र मोहनदास रंगास्वामी निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. चांदी पत्नि अम्बालाल भील निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. नन्दा पुत्र अम्बालाल भील निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मोहन पुत्र अम्बालाल भील निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. अमर सिंह — प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः—12.10.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम जगपुरा पटवार हल्का सगरेव तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के द्वारा पंजियन विक्रय पत्र से क्रय शुदा भूमि जिसमें ऑनलाईन नामान्तरण में विलम्ब होने के होने के कारण पंजियन विक्रय पत्र जरिये खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 326 रकबा 0.40 है0 खाता संख्या 133 पर एवं आराजी संख्या 328 रकबा 0.275 है0 भूमि खाता संख्या 134 भूमि पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीया को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा पत्थरगढ़ी कराने हेतु कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब दे रहे है। प्रार्थी ने दिनांक 10.11.2020 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:13:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 15.03.2021 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 6 के बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थी खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम जगपुरा पटवार हल्का सगरेव तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के द्वारा पंजियन विक्रय पत्र से क्रय शुदा भूमि जिसमें ऑनलाईन नामान्तरण में विलम्ब होने के होने के कारण पंजियन विक्रय पत्र जरिये खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 326 रकबा 0.40 है0 खाता संख्या 133 पर एवं आराजी संख्या 328 रकबा 0.275 है0 भूमि खाता संख्या 134 भूमि पर दर्ज रेकार्ड है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भु–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200 / –रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500 / –रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.10.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:13:07 IST
Reason: SelfAttested

Kg, 111,128

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–60/2021 (2021/173) प्रार्थना पत्र

अनवान

1 (1) चांदी पत्नि अम्बालाल भील निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
(2) नन्दा पुत्र अम्बालाल भील निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
(3) मोहन पुत्र अम्बालाल भील निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

पंजियन विक्रय पत्र जरियें

भैरू लाल पिता बाबु लाल भील निवासी भीलखेड़ी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. पन्ना पुत्र घीसा भील निवासी भीलखेड़ी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कानादास पुत्र मोहनदास रंगास्वामी निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. भीमदास पुत्र मोहनदास रंगास्वामी निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. चांदी पत्नि अम्बालाल भील निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. नन्दा पुत्र अम्बालाल भील निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मोहन पुत्र अम्बालाल भील निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :–तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत्

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 05.10.2021 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम जगपुरा पटवार हल्का सगरेव तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के द्वारा पंजियन विक्रंय पत्र से क्रय शुदा भूमि जिसमें ऑनलाईन नामान्तरण में विलम्ब होने के होने के कारण पंजियन विक्रय पत्र जरिये खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 326 रकबा 0.40 है0 खाता संख्या 133 पर एवं आराजी संख्या 328 रकबा 0.275 है0 भूमि खाता संख्या 134 भूमि पर दर्ज रेकार्ड है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/–रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/–रूपये सम्बधित भू– अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए [illegible] रिपोर्ट [illegible] के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:13:07 IST
Reason: SelfAttested

12/10/2021
(सुन्दर लाल बम्बोड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Kg, 111,128